आदेश पत्र
न्यायालय : उपजिलाधिकारी
मण्डल : बहराइच, जनपद : बहराइच, तहसील : महसी
वाद संख्या :– 2213 / 2022
कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या :– K202280306442316

कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल समिति बनाम सरकार
अन्तर्गत धारा :– 80, अधिनियम उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006

मौजा– तनाजा
परगना– खसहा
तहसील– महसी

निर्णय

कैम्ब्रिज पब्लिक स्कूल समिति निवासी रायपरु राजा जनपद बहराइच की ग्राम रायपरु राजा की 466 ङ अंश में रकवा .500 हे0 467 में रकवा 1.5350 हे0 वर्गमीटर तथा 469 अंश में रकवा 0.610 हे0 वादी के नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में दर्ज है। उक्त अंश पर कृषि कार्य उद्यानीकरण, पशुपालन, कुक्कुट पालन आदि नहीं किया जाता है। वादी उक्त भूमि व्यापार के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लेना चाहते हैं। अतः वादी की भूमि व्यापार के प्रयोजन हेतु अकृषिक घोषित की जाये।

प्रार्थनापत्र कि तहसीलदार महसी से जॉच कराकर आख्या प्राप्त की गई। तहसीलदार महसी की आख्या दिनांक 10.02.2022 के अनुसार ग्राम तनाजा खसहा मो0 पुर की 466 ङ 467 तथा 469 में कृषि कार्य नहीं हो रहा है। वादी उक्त भूमि व्यापार के प्रयोजन हेतु प्रयोग में लेना चाहता है। अन्त में उक्त भूमि को अकृषिक घोषित किए जाने की संस्तुति की गई है। सहखातेदारों का शपथपत्र इस आशय का संलग्न है कि उन्हें आबादी घोषित कराने में कोई आपत्ति नहीं है।

तहसीलदार महसी की आख्या प्राप्त होने के बाद दर्ज रजिस्टर किया गया। तहसीलदार महसी की आख्या दिनांक 10.02.2022 के अनुसार वादी भूमि कृषि कार्य न होने के कारण अकृषिक घोषित किए जाने योग्य है। वादी द्वारा तहसीलदार महसी की आख्यानुसार निर्धारित सर्किल रेट का 1 प्रतिशत रू0 1,517 /– चालान सं0– 48640– दि0 10.02.2022 एवं रू0 1,517 /– के जुडीशियल स्टाम्प संलग्न पत्रावली हैं।

तहसीलदार महसी की आख्या दिनांक 10.02.2022 से सहमत होते हुए निम्नांकित विवरण वाली भूमि को राजस्व संहिता–2006 की धारा 80 (1) के अन्तर्गत अकृषिक घोषित करने हेतु लगान मुक्त की जाती है। यदि भूमिधर इस अधिनियम की उपधारा के अधीन घोषणा के दिनांक 5 वर्ष की अवधि के भीतर प्रस्तावित गैर कृषि सम्बन्धी गतिविधि प्रारम्भ करने में विफल रहता है तो उपधारा (2) के अधीन जोत या उसके आंशिक भाग की घोषणा व्यपगत हो जायेगी। आदेश की एक–एक प्रति तहसीलदार महसी, उप निबन्धक महसी को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे।